**न्यायालय श्रीमान मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.**

A 1028 - I/14 प्र.क्र.

जगदीश मोदी आ. श्री जुगलकिशोर मोदी,
निवासी शमशाबाद जिला विदिशा म.प्र. ................ अपीलार्थी

विरूद्ध

म.प्र. शासन,
व्दारा कलेक्टर आफ स्टांप जिला विदिशा म.प्र.................. उत्तरदाता

**आवेदन अंतर्गत धारा 56 भारतीय स्टांप अधिनियम 1899**

अधि.न्यायालय श्रीमान कलेक्टर आफ स्टांप जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 60/बी/103/11-12 मे पारित आदेश दिनांक 30.3.2013 जिसकी प्रति डाक व्दारा अपीलार्थी को 12.4.2013 को प्राप्त हुयी, उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील माननीय के समक्ष समयअवधि मे प्रस्तुत की है:-

अपीलाथी की ओर से माननीय न्यायालय से निम्न निवेदन है :-

**प्रकरण का संक्षिप्त विवरण**

यह कि एक मुख्तारआम पंजीबद्ध कराने हेतु मेसर्स ए.के. शिवहरे एण्ड कंपनी व्दारा पार्टनर अनिल कुमार शिवहरे निवासी गुना व्दारा अपीलार्थी जगदीश मोदी आ. श्री जुगलकिशोर मोदी के पक्ष मे दिनांक 30.3.2010 को उपपंजीयक कार्यालय विदिशा मे विधि अनुसार निर्धारित स्टांप शुल्क के सहित प्रस्तुत किया गया । जिसे उपपंजीयक व्दारा पंजीबद्ध कर उसकी प्रति अपीलार्थी को प्रदाय कर दी गयी ।

यह कि अधिनस्थ न्यायालय व्दारा महालेखागार म.प्र. ग्वालियर के आडिट दल व्दारा अपनी निरीक्षण की अवधि वर्ष 1.4.2009 से 31.3.2011 की कंडिका 5 मे उपपंजीयक कार्यालय विदिशा मे पंजीबद्ध मुख्तारआम क्र0 135 दिनांक 30.3.2010 पर आक्षेप लिया गया है कि पक्षकार व्दारा कम पंजीयन शुल्क प्रभारित किये जाने से राजस्व की हानि हुयी है। उपपंजीयक ने आडिट आक्षेप के परिप्रेक्ष्य मे दस्तावेज की प्रतिलिपि भेजी गयी । जो मुद्रांक अधि0 की धारा 48 (ख) मे दर्ज की गयी ।

यह कि प्रकरण दर्ज करने के उपरांत दिनांक 29.8.2011 को पक्षकार को आहूत किया गया जिसमे दिनांक 23.1.2012 को अनावेदक की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये उनके व्दारा जबाब देने हेतु समय चाहा गया । दिनांक 21.2.12 को प्रकरण नियत किया गया । उक्त दिनांक को अनावेदक अनुपस्थित रहे । इसी प्रकार निरंतर 5 पेशियो तक पक्षकार अनुपस्थित रहे एवं कोई जबाब प्रस्तुत नही किया ।

अतः प्रकरण मे एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेशित किया जाता है कि आडिट व्दारा आक्षेप लिया गया कि दस्तावेज मे दर्शायी गयी धरोहर राशि पर पंजीयन शुल्क प्रभारणीय थी जबकि दस्तावेज मात्र 100/- प्रभारित की गयी । कमी पंजीयन शुल्क शासकीय कोष मे जमा करने के निर्देश दिये जाते है । जमा न करने की स्थिति मे भू राजस्व के नियमो के अनुसार राशि वसूल की जायेगी । ऐसा आदेश अधि0 न्यायालय व्दारा दिनॉक 30.3.13 को पारित किया गया । जिसकी सूचना डाक व्दारा अपीलार्थी को दिनांक 12.4.2013 को प्राप्त हुयी ।

यह कि अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुए उनके व्दारा अपीलार्थी का शपथपत्र तथा कारण बताओ सूचनापत्र का लिखित जबाब प्रस्तुत किया गया तथा कार्यवाही उपरांत अन्तिम बहस भी उनके व्दारा की गयी । इन सभी तथ्यो की पुष्टि अधि0 न्यायालय के आदेशिका से स्वयं हो जायेगी । परंतु अधि0 न्यायालय व्दारा इन सभी तथ्यो का उल्लेख अपने आदेश मे न करते हुए एकपक्षीय मानकर निर्णय दिया है ।जो प्राकृतिक एवं नेसर्गिक सिद्धान्तो के अनुकूल नही है । जबकि पक्षकार अधिवक्ता सहित माननीय के यहॉ उपस्थित होता रहा है । अधि.न्यायालय व्दारा पारित आदेश मे उन कारणो का हवाला नही दिया है जिस कारण से यह आदेश पारित किया है ओर न ही अपीलार्थी व्दारा प्रस्तुत जबाब एवं लिखित बहस को क्यो अस्वीकार किया ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

------

प्रकरण क्रमांक - अपील 1028-एक/14 जिला - विदिशा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 20.9.18 | प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 60/बी-103/11-12/48-ख में पारित आदेश दिनांक 30-3-13 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प एक्टए 1899 जिसे आगे स्टाम्प एक्ट कहा जायेगा ) की धारा 56 के तहत पेश की गई है । | |
| | 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर के ऑडिट दल द्वारा अपनी निरीक्षण टीप अवधि वर्ष 01-4-09 से 31-3-11 की कंडिका 5 में उप पंजीयक कार्यालय विदिशा में पंजीबद्ध मुख्त्यार आम क्रमांक 135 दिनांक 30-3-10 पर आक्षेप लिया गया कि पक्षकार द्वारा कम पंजीयन शुल्क प्रभारित किए जाने से राजस्व हानि हुई है । महालेखाकर की उक्त रिर्पोट पर से उप पंजीयक ने दस्तावेज की प्रतिलिपि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को भेजी गई । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने उप पंजीयक के प्रतिवेदन के आधार पर स्टाम्प एक्ट की धारा 48(ख) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही करते हुए दस्तावेज में दशाई गई धरोहर राशि रूपये 4,56,94,000/- पर पंजीयक शुल्क रूपये 3,65,697/- देय है जबकि दस्तावेज में मात्र 100/- रूपये प्रभारित की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने कमी पंजीयन शुल्क रूपये 3,65,597/- एवं मुद्रांक अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत शास्ति रूपये 5000/- इस प्रकार कुल राशि रूपये 3,70,597/- आवेदक को 30 दिवस में शासकीय कोष में जमा किए जाने के आदेश दिये गए । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है । | |
| | 3/ अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा | |

(3)

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | प्रस्तुत जबाव एवं लिखित बहस का सही मूल्यांकन न करते हुए आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी से मूल दस्तावेजों की मांग नहीं की गई और जो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया वह ऑडिट रिर्पोट के आधार पर किया गया है, जिसका अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को न होते हुए भी आदेश पारित किया गया है । उक्त आधारों पर उदनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अवैधानिक बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।<br>4/ प्रत्यर्थी शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।<br>5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुख्त्यार नामे पर लिए गए आक्षेप के आधार पर उभयपक्षों को सुना गया एवं कई पेशियों पर आवेदक के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर आदेश पारित करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि दस्तावेज में दर्शाई गई धरोहर राशि रूपये 4,56,94,000/- पर पंजीयक शुल्क रूपये 3,65,697/- देय है जबकि दस्तावेज में मात्र 100/- रूपये प्रभारित की गई है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने कमी पंजीयन शुल्क रूपये 3,65,597/- एवं मुद्रांक अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत शास्ति रूपये 5000/- इस प्रकार कुल राशि रूपये 3,70,597/- शासकीय कोष में जमा कराने के जो आदेश दिए हैं, वे उचित एवं न्यायिक हैं । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।<br>परिणामत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा | |

**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

---

प्रकरण क्रमांक - अपील 1028-एक/14 जिला - विदिशा प्रकरण

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | जाता है एवं यह अपील निरस्त की जाती है ।<br>पक्षकार सूचित हों तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो ।<br>( एम. गोपाल रेड्डी )<br>प्रशासकीय सदस्य,<br>राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर | |